**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र**
**पीठासीन अधिकारी–** (Abid Shamim), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06259**
वारण्ट एण्ड सम्मन केसेज संख्या–52 सन् 2024
लोरिक राम **बनाम** दयाशंकर सेठ व अन्य
थाना–राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

**–:आदेश पत्रकः–**

**20.05.2025**

पत्रावली तलबी आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा लोरिक राम पुत्र स्व0 शोभूराम निवासी ग्राम सुकृत, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र की ओर से दिनांक 14.06.2021 को मानवाधिकार आयोग को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया कि वादी के घर में दिनांक 08.01.2021 को चोरी होने के सम्बन्ध में उसने कुछ विपक्षीगणों के विरूद्ध लिखित तहरीर पुलिस चौकी सुकृत एवं अन्य उच्चाधिकारियों को तहरीर देने पर शादीक उर्फ पतरी व साकिर हुसैन उर्फ महीद ने वादी के लड़के सत्य प्रकाश को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके गालियां देते हुए लाठी डण्डे से मारे पीटे थे परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विपक्षीगण आराम से घूम रहे हैं। कुछ विशेष सूत्रों से पता चला कि विपक्षी दया राम सेठ सुकृत में सोना चांदी का दुकान किये हैं। उक्त दुकान में परिवादी का एक थान चांदी का सिकड़ी बरामद हुआ। परिवादी उसे पैसा देकर ले आया ताकि विपक्षी दयाराम सेठ साक्ष्य को मिटा न सके। दयाराम सेठ को चौकी पर बुलाया गया तो उसने कहा कि चांदी की सिकड़ी उसे किसी ने लाकर बेचा है जिसको उसने परिवादी को दिया है।

परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 17.09.2022 को थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में मु0अ0सं0–713 सन् 2022 पर अभियुक्तगण दयाराम सेठ, सूरज कुमार, साकिर हुसैन उर्फ महिद, शादीक उर्फ पतरी, सुनील उर्फ साण्डा तथा उमाशंकर उर्फ राही के विरूद्ध धारा–380, 147, 323, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)5क एवं 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचनोपरान्त पुष्टिकारक साक्ष्य न पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट संख्या–180 सन् 2022 दिनांकित 25.11.2022 प्रेषित किया गया।

पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया। वादी मुकदमा उपस्थित आया। उसकी ओर से प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र 8ख प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 23.05.2024 के माध्यम से पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र 8ख को परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया।

Digitally signed by ABID SHAMIM
Date: 2025.05.20 11:48:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा–200दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को परीक्षित कराया है तथा धारा–202दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत सी0डब्लू0–1 नन्दलाल तथा सी0डब्लू0–2 रजिन्दर को परीक्षित कराया है।

परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200दं0प्र0सं0 में विपक्षीगण साकिर हुसैन उर्फ महिद तथा शादीक उर्फ पतरी के द्वारा परिवादी के लड़के को मारने एवं उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां दिये जाने का कथन किया गया है। यद्यपि कि परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगणों के द्वारा समस्त विपक्षीगण के द्वारा अपराध कारित किये जाने के बावत कथन किया गया है।

परिवादी द्वारा तहरीर एवं प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों एवं धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत शपथपूर्वक दिये गये बयानों व समर्थन में परीक्षित साक्षीगण के बयानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मात्र विपक्षीगण साकिर हुसैन उर्फ महिद तथा शादीक उर्फ पतरी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया दृष्टया धारा–323, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)5क एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। शेष विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। अतः मात्र विपक्षीगण साकिर हुसैन उर्फ महिद तथा शादीक उर्फ पतरी को उपरोक्त अपराध के विचारण के लिए आहूत किए जाने योग्य हैं।

**–:आदेशः–**

अभियुक्तगण **साकिर हुसैन उर्फ महिद तथा शादीक उर्फ पतरी** को धारा–323, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)5क एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है।

परिवादी द्वारा धारा–204दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पैरवी अन्दर सप्ताह किये जाने पर तथा **गवाहान सूची दाखिल किए** जाने के उपरान्त अभियुक्तगण को जरिए समन दिनांक 08.07.2025 के लिए तलब किया जाता है।

**(आबिद शमीम),**
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र

दिनांकः 20.05.2025